न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 152/2022 दायर दिनाँक 29.04.2022

वादी

1. लालाराम माता गोरा देवी पत्नि गंगाराम जाति जाट निवासी जानकीपुरा, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामस्वरूप माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
2. भंवरीदेवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
3. नानी देवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
4. धन्नीदेवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
5. झमकु देवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
6. सुगना माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण जानकीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
7. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा– 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।
2. श्री खांगाराम खिलेरी वकील प्रति0 सं0 1 ता 6 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की माता गौरा देवी के नाम 1/2 भाग का खरीद सुदा खेत खसरा सं0 121 रकबा 4.2700 हैक्टे0 व खसरा सं0 130 रकबा 0.0400 हैक्टे0 सरहद गोदरास में अवस्थित है।

यह है कि राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त खेत वर्तमान में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन किया तब सहवन से वादी की माता गौरा देवी का नाम हटा दिया व सम्पूर्ण खेत गौरा देवी के अलावा बचे अन्ये खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया है एवं इस तथ्य की सूचना भी वादी को व उसकी माता को नही दी गई।

यह है कि वादी की माता गौरा देवी का देहान्त हो चुका है। वादी अपनी माता के देहान्त के पश्चात फौतगी म्युटेशन भराने पटवारी के पास गया तो पटवारी ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादी की माता का नाम नही होना बताया। तब वादी ने उक्त खसरा नम्बरान की नकले निकलवायी तो वादी को पता चला कि राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से वादी की माता का नाम राजस्व रेकर्ड से हट चुका है।

यह हैकि उपरो[illegible] 121 व 130 में से 1/2 भाग वादी की माता गौरा देवी की हक अधिकार रहा [illegible] में भी गौरा देवी के वारिसान का कब्जा [illegible] है [illegible] उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से [illegible] से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है।

यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान [illegible] भूमि से गौरा देवी का नाम हट जाने से अन्य सहखातेदारों द्वारा गौरा देवी के वारिसान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की भी आंशका बनी हुई है। इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से 1/2 भाग की भूमि में गौरा देवी के वारिसान का नाम दर्ज किया जाना अतिआवश्यक है। इसलिए वादी को दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

यह है कि वादी की प्रार्थना निम्न है:–

यह है कि खेत खसरा 121 रकबा 4.2700 हैक्टे0 व खसरा नम्बर 130 रकबा 0.0400 हैक्टे0 वाकै शरहद गोदरास में गौरा देवी के वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी संख्या 01 व 06 का इकबालिया जवाब जरिये वकील श्री खांगाराम द्वारा पेश हुआ।

बहस सुनी गयी, वाद रेकर्ड दुरूस्ती से संबधित है, वकिल वादी वादी के कब्जा काश्त सुदा व खरीद सुदा खेत खसरा 121 व 130 वाकै सरहद गोदरास की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की खातेदारी हेतु वाद पेश किया। जिसे वाद में प्रस्तुत रजिस्ट्री के अनुसार खातेदारी देना उचित प्रतित हा

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद गोदरास खेत खसरा 121 रकबा 4.2700 हैक्टे0 व खसरा नम्बर 130 रकबा 0.0400 हैक्टे0 में से 1/2 भाग गौरा देवी के वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 152/2022 दायर दिनाँक 29.04.2022

वादी

1. लालाराम माता गोरा देवी पत्नि गंगाराम जाति जाट निवासी जानकीपुरा, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान। **बनाम्**

प्रतिवादीगण

1. रामस्वरूप माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
2. भंवरीदेवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
3. नानी देवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
4. धन्नीदेवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
5. झमकु देवी माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम
6. सुगना माता गोरादेवी पत्नि गंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण जानकीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
7. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 188 R.T.Act.

दिनाँक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी व श्री खांगाराम खिलेरी वकील प्रति0 सं0 1 ता 6 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद गोदरास खेत खसरा 121 रकबा 4.2700 हैक्टे0 व खसरा नम्बर 130 रकबा 0.0400 हैक्टे0 में से 1/2 भाग गौरा देवी के वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीक का चाहे डिक्रीके जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner